न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 1678–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 23–4–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर जिला झाबुआ, प्रकरण कमांक 10/स्वमेव निगरानी/2011–12.

....

रामचन्द्र पिता भेरा
निवासी करवड़ तहसील पेटलावद जिला झाबुआ

.... आवेदक

विरूद्ध
म.प्र.शासन द्वारा राजस्व विभाग जिला झाबुआ

.... अनावेदक

....

श्री एच0जी0गोखले, अभिभाषक– आवेदक
श्री हेमन्त मूँगी, अभिभाषक– अनावेदक

:: आ दे श ::
(आज दिनांकः 12/5/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–04–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अपर कलेक्टर द्वारा मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक 2309/2098/2010/सात/2–ए दिनांक 28–7–2010 एवं आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर के पत्र क्रमांक 565/2/स्थापना/2012 दिनांक 12–4–2012 के प्रकाश में कार्यवाही करने के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 1333 रकबा 0.32 हेक्टेयर के संबंध में व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 14–3–2005 को आदेश पारित कर आवेदक का वाद निरस्त किया गया है और व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी निरस्त हो चुकी है । इसके बावजूद भी प्रश्नाधीन भूमि पर तहसीलदार द्वारा आवेदक का नाम भूमिस्वामी स्वत्व

पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया है, तहसीलदार का आदेश अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर दिनांक 23–4–2012 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया गया है । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नामान्तरण वर्ष 2005 में किया गया है और नामान्तरण आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति राजस्व मण्डल द्वारा नहीं दिये जाने के कारण उक्त आदेश अंतिम होकर वर्तमान में अस्तित्व में है । ऐसी स्थिति में अपर कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही कर तहसील न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किये गये है कि स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही 180 दिवस में करना चाहिये, परन्तु अपर कलेक्टर द्वारा 3 वर्ष पश्चात् स्वप्रेरणा से निगरानी की कार्यवाही करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा गुणदोष पर कोई आदेश पारित नहीं कर क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर आदेश पारित किये गये हैं, इसलिये व्यवहार न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरण आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता है । उनके द्वारा अपर कलेक्टर द्वारा पारित निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश विधिसंगत बताते हुये निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद निरस्त हो गया है और उसकी अपील भी निरस्त हो चुकी है । विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है । अतः अपर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार के प्रकरण को स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर

तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर कलेक्टर का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर जिला झाबुआ द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–04–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर